


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 3—खण्ड 4

PART 3—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2014/अग्रहायण 12, 1936

No. 348]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2014/AGRAHAYANA 12, 1936

विद्युत मंत्रालय

(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2014

सं. 23/47/2014-आर एंड आर(वालयूम III).—केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत अधिनियम 2003 (2003 की संख्या 36) धारा 177 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 55 की उप धारा (1) तथा धारा 73 के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) संशोधन विनियम, 2014 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. लागू होना – ये विनियम (क) 415 वॉट और उससे निम्न वोल्टेज स्तरों (अथवा समय – समय पर यथा संशोधित प्रत्यावर्ती (आल्टरनेटिंग) करंट (ए सी) न्यूनतम प्रणाली वोल्टेज की वैल्यूज के लिए प्रासंगिक भारतीय मानक के अनुसार तदनुरूपी वोल्टेज) पर ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी की मांग करने वाले सभी ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को लागू होंगे।

(ख) 415 वॉट और उससे अधिक वोल्टेज स्तरों (अथवा समय – समय पर यथा संशोधित प्रत्यावर्ती (आल्टरनेटिंग) करंट (ए सी) न्यूनतम प्रणाली वोल्टेज के वैल्यूज के लिए प्रासंगिक भारतीय मानक के अनुसार तदनुरूपी वोल्टेज) पर संयोजित (कनेक्टिड) ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र उन्हीं मीटरिंग प्रबंधों को लागू होंगे जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम, 2006 में विद्युत उत्पादन केंद्रों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

(ग) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) विनियम, 2006 में यथा विनिर्दिष्ट 'उपभोक्ता मीटर' के सभी खंड 'नवीकरणीय ऊर्जा मीटर' के लिए भी लागू होंगे, जब तक कि इन विनियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

3. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात विनियम कहा गया है) के विनियम 2 उप खंड (1) में खंड (भ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

'(म) - 'नवीकरणीय ऊर्जा मीटर' से उपभोक्ता को आपूर्ति की गई और उसके द्वारा प्राप्त की गई विद्युत के लेखे और बिलिंग के लिए प्रयुक्त मीटर से अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत ऐसे मीटर नहीं हैं जो इंटरफेस मीटरों के अंतर्गत आते हैं।

4. मूल विनियमों के, विनियम 7 के उप विनियम 2 के खंड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

'(घ) नवीकरणीय ऊर्जा मीटरों का स्थलन नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा:-

मापन प्रबंध	नवीकरणीय ऊर्जा मीटर का स्थलन
टैरिफ मापन में फीड :- उत्पादित संपूर्ण विद्युत को ग्रिड में अंतःक्षेपित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र को ग्रिड से संयोजित किया जाता है।	नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र से बहिर्गामी फीडर।
शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग) :- नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र को, मुख्यतः संयंत्र के स्वामी द्वारा विद्युत की खपत के लिए स्वामी की 'लोड बस' से संयोजित किया जाता है और अतिरिक्त विद्युत, यदि हो तो, ग्रिड में अंतःक्षेपित की जाती है।	नवीकरणीय ऊर्जा मापन के प्रयोजनार्थ प्रथम अधिष्ठापन की दशा में 'नवीकरणीय ऊर्जा मीटर' को उपभोक्ता मीटर के लिए विनिर्दिष्ट स्थल पर अधिष्ठापित किया जाएगा और वर्तमान उपभोक्ताओं की दशा में उपभोक्ता मीटर को 'नवीकरणीय ऊर्जा मीटर' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

टिप्पणः-'शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग) की दशा में, बैटरी वाले नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र, ग्रिड की खराबी की स्थिति में उपभोक्ता लोड की आपूर्ति कर सकते हैं। इस दशा में, ग्रिड की खराबी की स्थिति में, ग्रिड से उपभोक्ता लोड की आइलैंडिंग करने के लिए उचित स्थल पर एक स्वचालित पृथक तंत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए।'

5. मूल विनियमों की अनुसूची के भाग- III में

(क) पैरा (1) के उप पैरा (क) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :

(क) 'उपभोक्ता मीटर, उपभोक्ता द्वारा उपयोग की गई संचयी सक्रिय ऊर्जा को मापने के लिए उचित होगा और नवीकरणीय ऊर्जा मीटर ग्रिड से आहरित और ग्रिड में अंतःक्षेपित की गई संचयी सक्रिय ऊर्जा को मापने के लिए उचित होगा।'

(ख) पैरा (3) के पश्चात, निम्नलिखित 'टिप्पणी' को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

'टिप्पणः- नवीकरणीय ऊर्जा मीटर द्वि-दिशात्मक हैं और अतः ऊपर (3) (ड) में नियत छेड़ छाड़ रोधी (एंटी टैम्पर) कारक नवीकरणीय ऊर्जा मीटर की दशा में लागू नहीं होगा।

संबंधित अनुज्ञप्तिधारी समुचित आयोग के विनियमों या निर्देशों के अनुसार उचित छेड़- छाड़ रोधी समाधान अपना सकेंगे।'

नमन बाटई, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./186-बी/2014]

पाद टिप्पण- मूल विनियम, भारत के राजपत्र में सं. 502/70/के.वि.प्रा./डी पी एंड डी तारीख 17 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संशोधित विनियम भारत के राजपत्र में सं. 502/6/2009/डी पी एंड डी/डी-1 तारीख 4 जून, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER
(CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2014

No. 23/47/2014-R&R (Vol. III).—In exercise of the powers conferred by the sub-Section (1) of Section 55 and clause (e) of section 73 read with sub-section (2) of Section 177 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Central Electricity Authority, hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Amendment Regulations, 2014.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These Regulations shall be applicable for (a) all Grid Interactive Renewable Energy Plants seeking the connectivity with the grid at 415 V (or corresponding voltage as per relevant Indian Standard for values of alternating current(AC) nominal system voltage, as amended from time to time) and below Voltage Levels.

(b) Grid interactive Renewable Energy Plants connected at above 415 V (or corresponding voltage as per relevant Indian Standard for values of alternating current(AC) nominal system voltage, as amended from time to time) would follow the same metering arrangement as stipulated for Generating Stations in Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006.

(c) all the clauses of 'Consumer Meters' as specified in Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, would also be applicable for 'Renewable Energy Meter', unless specified in these Regulations.

3. In the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 (hereinafter referred to as the principal regulations), in Regulation 2, in sub-section (1), after clause(x), the following clause shall be inserted, namely:—

“(y) Renewable Energy Meter means a meter used for accounting and billing of electricity supplied to and from the consumer but excluding those covered under Interface Meters.”

4. In the principal regulations, in regulation 7, in sub regulation 2, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

“(d) The location of Renewable Energy Meters shall be as specified below:

Metering arrangement	Location of Renewable Energy Meter
Feed in Tariff metering:- Renewable Energy Plant is connected to the grid to inject the entire electricity generated to the grid	Out going feeder from Renewable Energy Plant
Net metering :- Renewable Energy Plant is connected to the load bus of the owner to consume electricity generated primarily by the owner of the Plant and excess electricity, if any, is injected to the grid	In case of first installation for the purpose of Renewable Energy Metering, the 'Renewable Energy Meter' shall be installed at the location specified for consumer meter and in case of existing consumers, the consumer meter shall be replaced with 'Renewable Energy Meter'.

Note : In case of Net metering, Renewable Energy Plants with battery can supply the consumer load in the event of grid failure. In this case, an automatic isolating mechanism has to be provided at appropriate location to make islanding of the consumer load from the grid at the event of grid failure.”

5. In the principal regulations, in the Schedule, in Part III—

(a) In paragraph (1), for sub-paragraph (a), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(a) The Consumer meter shall be suitable for measurement of cumulative active energy utilized by the consumer and the Renewable Energy Meter shall be suitable for measurement of cumulative active energy drawn from the grid and injected into the grid.”.

(b) After paragraph(3), at the end, the following “Note” shall be inserted, namely :—

“NOTE – Renewable Energy Meter is bi-directional and therefore anti tamper feature stipulated at (3) (e) above shall not be applicable in case of Renewable Energy Meter. Respective licensee may adopt appropriate anti tampering solutions as per regulations or directions of appropriate Commission.”

NAPAN BATEI, Secretary

[ADVT.-III/4/Exfy.186-R/14]

Foot Note – The principal Regulations were published in the Gazette of India *vide* No. 502/70/CEA/DP&D dated the 17th March, 2006 and Amendment regulations were published in the Gazette of India *vide* No. 502/6/2009/DP&D/D-1, dated the 4th June, 2010.